

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 2136 औस/2010-11(4)एफ०/86 (वोल्यूम-1)

दिनांक: 05 जून, 2010

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा पूर्ववर्ती परिषद के आदेश संख्या-603-डब्ल्यू०सी०/राविप (औस-उन्नीस)89-11(3)उफ/88, दिनांक 10.05.1989 में ऑशिक रूप से संशोधन करते हुए यह व्यवस्था प्रतिपादित की जाती है कि पूर्व परिषद/कारपोरेशन के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों व उनके आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेंशनरों के लम्बी अवधि तक बाह्य रोगी की स्थिति में चलने वाली बीमारियों के उपचारार्थ रु० 2250.00 धनराशि प्रति माह की दर तक चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति के साथ-साथ मण्डल स्तर पर गठित मण्डलीय चिकित्सा परिषद की अनुशंसा/संस्तुति पर अनुमन्य होगी। रु० 2250/- प्रतिमाह के ऊपर के व्यय की प्रतिपूर्ति मात्र राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति/अनुशंसा पर ही अनुमन्य होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

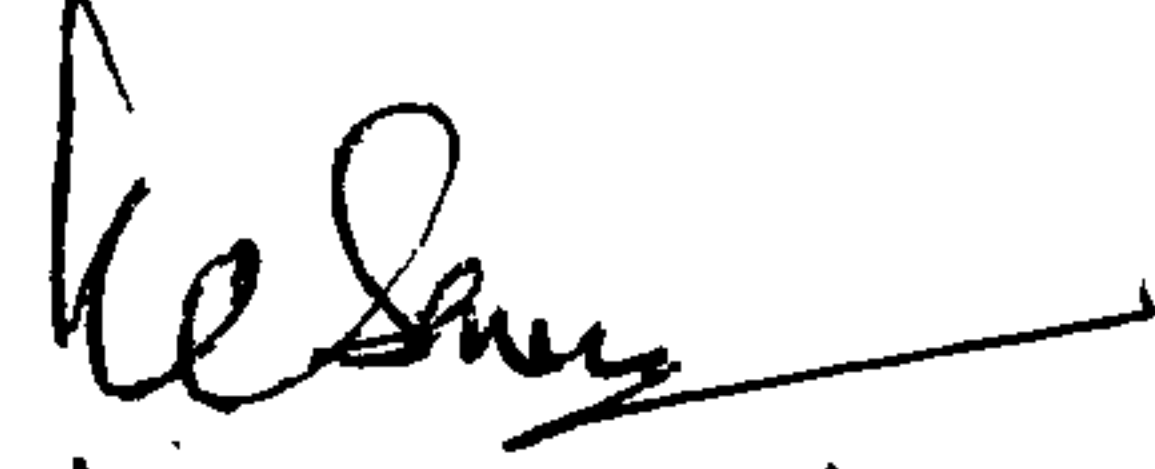
निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन)

संख्या: 2136-(1) औस/पाकालि/2010-तददिनांक :

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।
- 2- अपर प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ ।
- 3- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त), महोदय के निजी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर ।

- 5- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 6- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, को उपलब्ध करा दें।
- 8- समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 9- समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवम् लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 10- समस्त अनुभाग अधिकारी / निजी सचिव-प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 11- मुख्य चिकित्सा अधिकारी (उ०नि०), शक्ति भवन, लखनऊ।
- 12- सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 13- कट फाइल ।


(कौशल चन्द्र सक्सेना)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी